<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 29.10.2025</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में नये आपराधिक कानूनों के प्रति जन–जागरूकता अभियान 2.0 के अन्तर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा कल से चलाया जायेगा व्यापक विधिक जनजागरूकता अभियान–

भारत सरकार द्वारा पारित नये आपराधिक कानून कृ भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी0एन0एस0), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बी0एन0एस0एस0) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बी0एस0ए0) दिनांक 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण देश में प्रभावी हो चुके हैं। शासन की मंशा के अनुरूप इन नये कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुँचाने एवं विधिक साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा में कल दिनांक 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2025 तक तीन दिवसीय "नये आपराधिक कानूनों के प्रति जन–जागरूकता अभियान 2.0" का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण, क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस दौरान जनपद के सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, ग्राम सभाओं, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठियाँ, संवाद सत्र एवं पोस्टर–बैनर प्रदर्शनी आयोजित की जाएँगी। कार्यक्रमों के माध्यम से आमजनमानस, शिक्षकगण एवं छात्र–छात्राओं को नये आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से जीरो एफआईआर की सुविधा (किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था), ई–एफआईआर प्रणाली के माध्यम से तकनीकी रूप से सुलभ रिपोर्टिंग, समयबद्ध न्याय प्रणाली की अवधारणा, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का सशक्तीकरण, फोरेंसिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रभावशीलता, पीड़ित–केंद्रित न्याय प्रणाली तथा नये अपराधों की परिभाषाएँ एवं दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जाएगी। अभियान के दौरान जनपदीय पुलिस अधिकारी स्थानीय नागरिकों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उनके प्रश्नों का समाधान करेंगे। साथ ही सूचना पुस्तिकाएँ, बैनर, पम्पलेट एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए भी जन–जागरूकता बढ़ाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा बताया कि इन नये आपराधिक कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना, पीड़ितों की सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा करना तथा तकनीकी नवाचारों के माध्यम से अपराध नियंत्रण को सशक्त बनाना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इन कानूनों की जानकारी प्राप्त करें और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। यह तीन दिवसीय अभियान कल से प्रारम्भ होकर 01 नवम्बर 2025 तक सतत रूप से संचालित रहेगा ताकि अधिक से अधिक नागरिक नये आपराधिक कानूनों की जानकारी प्राप्त कर विधिक रूप से सशक्त एवं जागरूक नागरिक बन सकें तथा समाज में कानून के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया जा सके।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा</u>

प्रेस नोट
दिनांक 29.10.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–221/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–रंजीत कुमार यादव पुत्र हरीराम नि0 ग्राम नकही भरथा इटहिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को बहद ग्राम नकही मौजा भरथा इटहिया से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 29.10.2025 को प्र0नि0 गोविन्द कुमार मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त रंजीत कुमार यादव को ग्राम नकही भरथा इटहिया से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु लूट की घटनाओं को कारित किया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. रंजीत कुमार यादव पुत्र हरीराम नि0 ग्राम नकही भरथा इटहिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–221/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्र0नि0 गोविन्द कुमार थाना कौड़िया।
02. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह।
03. आ0 महेन्द्र पाण्डेय।
04. आ0 दिनेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट

दिनांक 29.10.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 15,000/– रू0 के इनामिया हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–387/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 15,000/– रू0 के इनामिया हत्याभियुक्त गुनीराम पुत्र राम दयाल निवासी ग्राम कोल्हमपुर थाना नवाबगंज गोण्डा को तरबगंज जाने वाले मुख्य सड़क ग्राम सोझिया के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.10.2025 को श्री विनय पुत्र छेदी लाल गुप्ता निवासी ग्राम मधवापुर, पोस्ट रघुनाथ नगर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी बहन की शादी लगभग 08 वर्ष पूर्व गुनीराम पुत्र राम दयाल निवासी ग्राम कोल्हमपुर, थाना नवाबगंज के साथ हुई थी। उनके एक पुत्र कान्हा उम्र लगभग 05 वर्ष का है। दिनांक 25.10.2025 की सुबह लगभग 08:00 बजे उनका बहनोई गुनीराम अपने पुत्र कान्हा को उनके घर पर छोड़कर चला गया। बाद में उनके भांजे कान्हा ने बताया कि "रात में पापा ने मम्मी को मार डाला है।" सूचना पर श्री विनय अपने भांजे को साथ लेकर ग्राम कोल्हमपुर स्थित अपनी बहन के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन आरती का शव कमरे के अन्दर जमीन पर पड़ा था, तथा उसके सिर व शरीर पर चोट के निशान पाए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 387/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम गुनीराम पुत्र राम दयाल निवासी ग्राम कोल्हमपुर थाना नवाबगंज गोण्डा पंजीकृत किया गया। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। अभियुक्त गुनीराम गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अभियुक्त गुनीराम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 15,000/–का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें आज दिनांक 29.10.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त गुनीराम को दुर्जनपुर घाट से तरबगंज जाने वाले मुख्य सड़क ग्राम सोझिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. गुनीराम पुत्र राम दयाल निवासी ग्राम कोल्हमपुर थाना नवाबगंज गोण्डा

सम्बन्धित अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 387/25, धारा 103(1) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

1. अभय सिंह थानाध्यक्ष वजीरगंज।
2. व0उ0नि0 श्री विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
3. हे0कां0 अरूण शंकर सिंह।
4. कां0 कमलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.10.2025, मॉनीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से बल्वा व मारपीट करने के 08 आरोपी अभियुक्तों को 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रूपये 12,000/- 12,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाकं 08.06.2013 को थाना खोड़ारे क्षेत्रान्तर्गत बल्वा व मारपीट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खोड़ारे पर मु0अ0सं0- 102ए/2013 धारा 147, 148, 323, 149, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था, विवेचना करते हुए आरोपी अभियुक्तों 01. रिसियावन चौहान पुत्र सुमेसर, 02. घिसियावन चौहान पुत्र सुमेसर, 03. विजय कुमार उर्फ अंगद पुत्र रिसियावन 04. रामविलास उर्फ विलास पुत्र घिसियावन, 05. राजकुमार पुत्र घिसियावन, 06. शेषनाथ पुत्र भगौती , 07. रंजीत चौहान पुत्र लालता प्रसाद, 08. सूरज चौहान उर्फ टिर्री पुत्र घिसियावन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 ए0एस0 त्रिपाठी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 09.09.2013 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी महोदय श्री राजेश कुमार 3 द्वारा थाना खोड़ारे पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह व थाना खोड़ारे के पैरोकार कां0 राहुल खरवार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 29.10.2025 को दोषी अभियुक्तों – 01. रिसियावन चौहान पुत्र सुमेसर, 02. घिसियावन चौहान पुत्र सुमेसर, 03. विजय कुमार उर्फ अंगद पुत्र रिसियावन 04. रामविलास उर्फ विलास पुत्र घिसियावन, 05. राजकुमार पुत्र घिसियावन, 06. शेषनाथ पुत्र भगौती , 07. रंजीत चौहान पुत्र लालता प्रसाद, 08. सूरज चौहान उर्फ टिर्री पुत्र घिसियावन को 03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 12,000/- 12,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. रिसियावन चौहान पुत्र सुमेसर
02. घिसियावन चौहान पुत्र सुमेसर
03. विजय कुमार उर्फ अंगद पुत्र रिसियाव
04. रामविलास उर्फ विलास पुत्र घिसियावन
05. राजकुमार पुत्र घिसियावन
06. शेषनाथ पुत्र भगौती
07. रंजीत चौहान पुत्र लालता प्रसाद
08. सूरज चौहान उर्फ टिर्री पुत्र घिसियावन नि0 गण पूरे काशीडीह कूकनगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0- 102ए/2013 धारा 147, 148, 323, 149, 504, 506 भादवि थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा.
मीडिया सेल, गोण्डा।